

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक : प. 14(82) अर्थना/चि. स्वा. से./ पैरा. मेडि./भर्ती/2020/3498

दिनांक : 30/11/2020

विज्ञापन सं. 03/2020

पैरा मेडिकल संवर्ग के ईसीजी टैक्नीशियन भर्ती-2020

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर के लिये राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदों हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन पत्र (On Line Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं :-

पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या		
	गैर-अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल पद
ईसीजी टैक्नीशियन	177	18	195

विशेष नोट :-

- (1) On line Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञापित को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (2) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अधीन परिवर्तनीय होगी।

1. **आवेदन प्रक्रिया :-** आवेदन On line Application Form में लिये जाएंगे जिन्हे राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व अपना e-mail ID बना ले एवं e-mail ID एवं Password याद रखें। यदि आवेदक ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर recruitment पर Click करेगा। संबंधित भर्ती परीक्षा के सागने Apply Online पर Click करने पर Login Page खुलेगा जिसमें ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक अभ्यर्थी के SSO ID एवं password से Login कर अभ्यर्थी का आवेदन भरेगा। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं है उसका पहले Not a Registered User Link पर Click कर www.sso.rajasthan.gov.in पर उसका पंजीयन करेंगे। पंजीयन के उपरांत उसका SSO ID एवं password प्राप्त कर Login करेंगे। ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद Application preview Page खोलकर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने भरे हुए आवेदन की पुनः गहनता से जांच करेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ई-मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के आवेदन में आवेदक से परामर्श कर त्रुटियों को दूर करेगा। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक को पुनः उसके आवेदन का Preview दिखाकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही हैं। सही-सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ई-मित्र कियोस्क पर जमा कराना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रुपये 30/- (रुपये 20/- आवेदन पत्र भरने हेतु + रुपये 10/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देना होगा। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई-मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। आवेदन को Submit करने मात्र से आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। आवेदन Submit करने के बाद फीस जमा होने पर ही ऑनलाईन आवेदन भरा हुआ माना जायेगा। आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई-मित्र

हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें। ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। उपरोक्त प्रक्रिया से आवेदक स्वयं भी ऑनलाईन आवेदन भर सकता है।

अभ्यर्थी अपने SSO ID एवं password से Login करेंगे। इसके पश्चात् Dashboard पर Ongoing Recruitment पर संबंधित परीक्षा के Apply now link पर Click कर अपना आवेदन भरेंगे। आवेदन पूर्ण रूप से भरने के बाद Next पर Click करने पर Application preview Page खुलेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने द्वारा भरे गये आवेदन की पुनः गहनता से जाँच कर ले तथा यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो अभ्यर्थी Update पर Click करके अपने आवेदन में संशोधन कर त्रुटियों को सही कर सकता है। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक पुनः अपने आवेदन का Preview देख कर यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही हैं। अभ्यर्थी सही-सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करें। आवेदक अपना आवेदन Submit करने के बाद OK पर Click करेंगे। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। OK पर Click करने के बाद Pay Fees का Page खुलेगा। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ई-मित्र के माध्यम से जमा करवा सकता है। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई-मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें। ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। आवेदन की रसीद अभ्यर्थी को ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। हाथ से भरे आवेदन-पत्र किसी भी रूप से चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

नोट:-

1. आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के उपरान्त रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।
3. आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन-पत्र कमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन-पत्र कमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit न मानें।
4. कृपया ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञापित एवं अभ्यर्थियों के लिये आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें। इस विज्ञापित एवं उक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर ही ऑनलाईन आवेदन भरें।
5. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएँ आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती हैं।

2. आवेदन शुल्क :- आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार आवेदन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजें।

(क) सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व. कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - रुपये 450/-

(ख) राजस्थान के नॉन कीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - रुपये 350/-

(ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु - रुपये 250/-

(घ) कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.8(3) कार्मिक/क-2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही आवेदन शुल्क रुपये 250/- देय है। (कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 5 भी अवश्य देखें।)

नोट:-

1. आवेदकों की सुविधा के लिये राज्य के समस्त ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C) की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
- फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
- फीस जिस श्रेणी की जमा कराई जाती है, अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का माना जायेगा। बाद में अभ्यर्थी की श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है तथा वे आवेदन शुल्क रुपये 250/- ही जमा कराते हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

3. रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है:-

1. ईसीजी टैक्नीशियन पद हेतु

(क) गैर अनुसूचित क्षेत्र:-

कुल पद	सामान्य				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			अति पिछड़ा वर्ग			बांरा जिले के सहरिया (आदिम जाति) हेतु		
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा
177	49	14	5	1	12	4	1	—	19	6	2	—	14	5	1	—	26	8	2	—	6	2	—

क्षैतिज आरक्षण (Horizontal)				
दिव्यांगजन			भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
HI (श्रवण बाधित एवं स्पीच एण्ड लैंग्वेज डिसएबिलिटी)	LD/CP (केवल कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीडित एवं वन लैग)	MD (बहुविकलांगता उक्त दोनों श्रेणियों में से कोई दो या अधिक एवं हीमोफिलिया रोग व सिकल सेल रोग)		
3	2	2	22	3

(ख) अनुसूचित क्षेत्र:-

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				क्षैतिज आरक्षण (Horizontal)				
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	दिव्यांगजन			भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
													HI (श्रवण बाधित एवं स्पीच एण्ड लैंग्वेज डिसएबिलिटी)	LD/CP (केवल कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीडित एवं वन लैग)	MD (बहुविकलांगता उक्त दोनों श्रेणियों में से कोई दो या अधिक एवं हीमोफिलिया रोग व सिकल सेल रोग)		
18	7	3	—	—	—	—	—	—	6	2	—	—	01	—	—	2	—

नोट:-

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी हैं और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं।
2. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
3. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये भी आवेदन कर सकते हैं।
4. महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) होगा।
5. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

विशेष सूचना:-

1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्पूर्वती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।
परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्पूर्वती वर्षों में उपलब्ध हो।
2. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
3. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण:- किसी वर्ग(आरक्षित पद(सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
4. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह-विच्छिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
5. अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2 (12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है। अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जारी जाति प्रमाण पत्र में अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जाति का उल्लेख होने पर लाभ देय है। अति पिछड़ा वर्ग के लिये अलग से कोई जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।

7. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।

8. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।

9. बांरा जिले की सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हें बांरा जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91पार्ट दिनांक 21.05.2013 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।

10. भूतपूर्व सैनिकों हेतु:-

(क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) भूतपूर्व सैनिक :-

(1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो।

(2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दे।

भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार 'भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) कार्मिक/क-2/84 पार्ट-II दिनांक 17.04.2018 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगे। इस अधिसूचना के अनुसार कोई भूतपूर्व सैनिक सेवानिवृत्त हो गया है या आगामी एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निराक्षेप प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) के आधार पर अपने पेंशन अर्जित करने के पश्चात् पद के लिये आवेदन करने का पात्र होगा, किन्तु उसे समूचित चयन अभिकरण को सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा:-

1. मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है,

2. साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।

3. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो।

स्पष्टीकरण:- कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.05.2019 के अनुसार जब किसी सैनिक द्वारा कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.04.2018 के तहत किसी पद हेतु आवेदन किया जाता है। तो ऐसे भूतपूर्व सैनिक के संबंध में यदि उसका सेवा निवृत्ति आदेश जारी हो चुका है और उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें सेवानिवृत्ति की तिथि (चाहे भविष्यवर्ती ही हो) का स्पष्ट उल्लेख हो, तो लिखित परीक्षा /मुख्य परीक्षा /साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन जैसी भी स्थिति हो की तिथि तक सेवानिवृत्ति आदेश प्रस्तुत कर दिये जाने पर उसे सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र माना जावेगा तथा इस आधार पर आवेदक को भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लाभ देय होंगे। इस आदेश के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे पात्र अभ्यर्थियों का चयन कर उनके सेवामुक्ति की तिथि तक कार्यग्रहण अवधि में शिथिलन प्रदान कर सकता है। यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जावेगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत (Lapse) हो जावेगी।

11. **उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु:-** उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्तर्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान :- कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार "उत्कृष्ट खिलाड़ी" से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने :-

1. उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट / चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

क.सं. 1	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था 2	टूर्नामेंट / चैंपियनशिप का नाम 3
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स(ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप/ विश्व चैंपियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैंपियनशिप
7	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स/ चैंपियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स/ चैंपियनशिप

- या
2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;
- या
3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन(एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/ चैंपियनशिपमें व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;
- या
4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;
- या
5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप/पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।”

नोट- कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण पत्र हों। यदि किसी आवेदक ने जान-बूझकर दिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अंकित की है, तो बोर्ड द्वारा ऐसे आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है।

12 दिव्यांगजन के लिये :-

- a. राजस्थान विशेष योग्यजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2020 को आयोजित बैठक के कम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ईसीजी टैक्नीशियन के पद हेतु निम्नलिखित दिव्यांग अभ्यर्थियों को योग्य माना गया है :-
1. HI(Hearing Impairment) (श्रवण बाधित एवं स्पीच एण्ड लैंग्वेज डिसएबिलिटी)
 2. LD/CP(Locomotor Disability and Cerebral Palsy):- (केवल कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीडित एवं वन लैंग)
 3. MD(Multiple Disability) (बहुविकलांगता उक्त दोनों श्रेणियों में से कोई दो या अधिक एवं हीमोफिलिया रोग व सिकल सेल रोग)
- उपरोक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य सभी दिव्यांगता श्रेणियों के अभ्यर्थी इस पद हेतु आवेदन के लिये पात्र नहीं है।

- b. दिव्यांगजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
- c. उपरोक्त दर्शाए गए दिव्यांगजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार भरा जावेगा। जहाँ किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी और यदि आगामी वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोजक उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- d. दिव्यांगजन आवेदक On line application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।
ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र (Permanent Disability Certificate) में विशेष योग्यजन का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रोवीजनल तौर पर अपलोड करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (विशेष योग्यजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगजन होने पर ही अभ्यर्थी को विशेष योग्यजनों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा। इस हेतु आवेदक को निर्धारित दिनांक व समय पर बुलाये जाने पर सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के मेडिकल बोर्ड के समक्ष शारीरिक जाँच हेतु उपस्थित होना होगा। केवल सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के मेडिकल बोर्ड के द्वारा निःशक्तता श्रेणी व प्रतिशत को ही मान्य किया जावेगा। आवेदन की तिथि के बाद दिव्यांग श्रेणी में सम्मिलित किये जाने संबंधी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के सदावासी निवासी हैं और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सदावासी निवासी रहे हैं। कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सदावासी निवासी है।
2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम-2014 के अधीन होगा। जहाँ पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं, वहाँ पर संबंधित विभाग के नियमों के प्रावधान लागू होंगे।
4. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19(2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के क्रम में कार्मिक(क-2) विभाग ने अपने परिपत्र क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 (बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विखण्डित (Rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट:- अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, बोनस अंक के प्रावधान, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, आवेदन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने, नियुक्ति की अयोग्यताएं एवं प्रमाण-पत्रों के सत्यापन संबंधी प्रावधान गैर-अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

5. वेतनमान:- ईसीजी टैक्नीशियन पद का सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान पै-मैट्रिक्स लेवल एल-8 निर्धारित किया गया है। मासिक नियत पारिश्रामिक नियमानुसार।

6. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:-

आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक, आवेदक की निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए :-
ईसीजी टैक्नीशियन पद हेतु:-

- (i) Senior Secondary in Science with either Biology or Mathematics from a recognized board or its equivalent with Two years Diploma of ECG Technician from an institute recognized by the state Government/Central Government/Rajasthan Para Medical Council and
- (ii) Registered in Rajasthan Para Medical Council.
- (iii) Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthan Culture.

नोट:- अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि राजस्थान पैरा मेडिकल कौन्सिल में पंजीकृत होना चाहिये। किन्तु रिट याचिका 13299/2017 संजू बनाम राज्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार भर्ती हेतु आवेदन की अंतिम तिथि तक पंजीयन नहीं होने की स्थिति में आवेदक को पंजीयन हेतु अंतिम तिथि तक राजस्थान पैरा मेडिकल कौन्सिल में आवेदन करना होगा एवं दस्तावेज सत्यापन के समय पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अन्य योग्यताएँ :-

(1) स्वास्थ्य :- ईसीजी टैक्नीशियन के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि ईसीजी टैक्नीशियन के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।

(2) चरित्र :- सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह ईसीजी टैक्नीशियन के पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सद्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नही हो। उक्त प्रमाण पत्र दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

7. राष्ट्रीयता :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या

(ड.) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

नोट:-परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख),(ग),(घ),(ड.) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. आयु:- आवेदक 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7/6/कार्मिक/क-II/2008 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार "जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जावेगी।"

स्पष्टीकरण:- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान द्वारा वर्ष 2018 के बाद ईसीजी टैक्नीशियन के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापित जारी नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की और छूट दी जाएगी।

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी :-

- 1. आयु सीमा में छूट के प्रावधान :-

- (क) सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासो हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेहन) नियम, 1988 के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
 - इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे विभाग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें 2 अवसर दिये जावेंगे।
 - एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपर्युक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।
 - राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवारत कर्मचारी जो अधिष्ठायी (Substantive) हैसियत से कार्य कर रहे हैं की ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
 - भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
 - उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी।
 - रिलीज्ड इमरजेन्सी कमीशनड ऑफिसर/सोर्ट सर्विस कमीशनड सेवा में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे, तो सेवा से रिहा होने के बाद विभाग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझा जावेगा।
 - आयोग के कार्य-क्षेत्र के भीतर न आने वाले पदों पर भर्ती के लिए उन व्यक्तियों की, जिनकी रिविट के अभाव में या पद की समाप्ति के कारण राज्य सरकार की सेवा से छंटनी कर दी गयी थी, ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष होगी बशर्ते कि वे उन पदों पर, जिन पर से उनकी प्रथमतः छंटनी की गयी थी, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इन नियमों के अधीन विहित अधिकतम आयु सीमा में थे परन्तु यह तब जबकि भर्ती के सामान्य विहित माध्यमों की सम्यक् रूप से अनुपालना कर ली जाये और अहंता, चरित्र, चिकित्सीय आरोग्यता आदि से संबंधित समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति कर ली जाये तथा उनकी छंटनी शिकायत या उपचार के कारण नहीं हुई हो और वे अंतिम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिया गया अच्छी सेवाओं का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दें।
 - पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, टांगानिका, युगाण्डा और जंजीबार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
 - बर्मा और श्रीलंका से 01.03.1963 को या इसके पश्चात् पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, टांगानिका, युगांडा और जंजीबार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में उपरिवर्णित आयु सीमा को 45 वर्ष तक शिथिल किया जावेगा। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अभ्यर्थियों के मामले में उसे 05 वर्ष और अधिक शिथिल किया जायेगा।
 - 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
 - विधवाओं और विवाह-विछिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो।
 - स्पष्टीकरण:-** विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह-विछिन्न महिला के मामले में विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - ऊपर वर्णित आयु सीमा में आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आने वाले पदों के लिये अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के अधीन मुख्यमंत्री वीपीएल जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मेडिकेयर रिलिफ सोसाईटी, एडस कंट्रोल सोसाईटी, सहकारी विभाग के अधीन संस्थान या सहकारी उपभोक्ता भण्डार, राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, झालावाड अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसाईटी, आई.डी.सी.पी. या राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में समान पद (Similar Post) पर पद any capacity कार्यरत हैं/रहे हैं उन अभ्यर्थियों को समान पद (Similar Post) पर उनके कार्यानुभव अवधि की सीमा तक अथवा अधिकतम 5 वर्ष की आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जावेगी। उक्त आयु सीमा में छूट का लाभ सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

नोट:-

- (क) संस्थाई कर्मचारी को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट तभी दी जावेगी यदि वह बोर्ड कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक तक संस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में हो अन्यथा आवेदक की अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं दी जावेगी और आवेदक को अधिकायु का होने से उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा।
- (ख) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।
- (ग) उपरोक्त पैरा 8 के प्रावधान संख्या 1 से 14 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा 1 से 14 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- (घ) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ विभाग से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise) के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग (Category) के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।

9. पेंशन:-

नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

10. विवाह पंजीयन :- शासन के परिपत्र क्रमांक प.8(19) गृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथासमय वांछनीय होगा।

11. आवेदन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि -

- (क) आवेदन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, एटी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 06.08.2020 से दिनांक 04.09.2020 को रात्रि 11.59 बजे तक जमा कराया जा सकता है।
- (ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 06.08.2020 से दिनांक 04.09.2020 को रात्रि 11.59 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जायेगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।

12. चयन का आधार एवं वरियता सूची तैयार करने का आधार :-

- (i) आवेदित पद हेतु आवेदकों का चयन राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 19 में उल्लेखित प्रावधानानुसार नियमों में उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा अथवा व्यावसायिक योग्यता परीक्षा अथवा दोनों जैसी भी स्थिति हो में प्राप्त औसत प्राप्तांकों एवं बोनस अंकों के आधार पर नियमानुसार तैयार वरियता सूची (मेरिट) से किया जावेगा।
- (ii) वरियता सूची तैयार करने हेतु आवेदक द्वारा नियमों में उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा अथवा न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता परीक्षा अथवा दोनों जैसी भी स्थिति हो, के प्रतिशत के औसत का 70 प्रतिशत लिया जावेगा एवं इन प्राप्तांकों के औसत प्रतिशत अंकों में अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित की विन्दु संख्या 13 के अनुसार बोनस अंकों प्रतिशत (अधिकतम 30) सीधे ही जोड़कर वरियता सूची बनाई जावेगी। विज्ञापित पदों के लिये नियुक्ति हेतु वरियता सूची तैयार करने के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा एवं न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता परीक्षा का विवरण इस विज्ञापित में ऊपर विन्दु संख्या 6 में दिया जा चुका है।
- (iii) वरियता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पात्रता दस्तावेज शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, अन्य योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन आदि समस्त दस्तावेजों का सत्यापन, पुलिस सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि के प्रस्तुत करना होगा।

13. अनुभव के आधार पर बोनस अंक :- राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 यथा संशोधित नियमों के नियम 19 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अभ्यर्थियों को बोनस अंक देय हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ विभाग के आदेश क्रमांक आई. डी.1183/चिरवा/मुप-3/2018 दिनांक 24.05.2018 के अनुसार अनुभव के अधिकतम बोनस अंक (10अंक - एक वर्ष (365 दिवस), 20 अंक- दो वर्ष (730 दिवस), अधिकतम 30 अंक-तीन वर्ष (1095 दिवस)) पूर्ण होने पर देय होंगे।

- (i) इन विज्ञापित पदों के लिये सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, मुख्यमंत्री दीपीएल जीवनरक्षा कोष, एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, मेडिकल कॉलेज झालावाड, समेकित रोग निगरानी परियोजना या राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के अन्तर्गत विज्ञापित पद के समान कार्य (Similar Work) पर कार्य करने की अवधि के आधार पर अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक पूर्ण वर्ष (365 दिवस) के अनुभव पर 10 प्रतिशत बोनस अंक एवं अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक देय होंगे। एक वर्ष से कम अवधि के लिये कोई बोनस अंक देय नहीं होगा।

नोट :-

- 365 दिवस पूर्ण होने पर ही एक वर्ष माना जावेगा

- अलग-अलग अवधि/पदनाम/भुगतान दर/पदस्थापन स्थान हेतु अलग-अलग अनुभव प्रमाणपत्र भरा जाये। अभ्यर्थी को एक से अधिक अनुभव प्रमाण पत्र जारी होने पर सभी अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किये जाये।
- सरकार से तात्पर्य राजस्थान राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मेडिकल शिक्षा विभाग सहित के अधीन चिकित्सा संस्थानों से है।

(ii) विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र का प्रारूप निम्न है :-

अनुभव प्रमाण पत्र (अलग-अलग अवधि/पदनाम/भुगतान दर/पदस्थापन स्थान हेतु अलग-अलग प्रपत्र भरा जाये।)		
क्र०सं०	विवरण	प्रविष्टि
1	आवेदन पत्र की आई०डी० संख्या (जैसा लागू हो)	
2	अभ्यर्थी का नाम	
3	पिता/पति का नाम	
4	संस्थान का नाम जहाँ कार्यरत रहा	
5	कार्य अवधि के दौरान कार्मिक का पदनाम (अनुबंध पत्र/नियुक्ति पत्र के अनुसार)	
6	योजना का नाम जिसके तहत पद स्वीकृत हुआ	
7	उपरोक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता	
8	उपरोक्त पद पर सम्पादित किया गया कार्य	
9	संस्थान पर कार्यानुभव अवधि (दिनांक के बाद की अवधि को गणना में सम्मिलित नहीं किया जाये)	
10	उक्त अवधि के दौरान दिया गया मानदेय भुगतान	
11	उक्त अवधि के दौरान कार्मिक को दिये गये मानदेय के भुगतान की दर	
12	कर्मचारी पी०एफ०/ई०एस०आई० कमांक (जो लागू हो)	
13	पी०एफ०/ई०एस०आई० आदि कटौती की राशि (जो लागू हो)	
14	भुगतान दर से गणना उपरान्त उक्त अवधि में वास्तविक कार्य दिवसों की संख्या	
15	यदि माननीय न्यायालय के निर्णय के तहत अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो याचिका संख्या/निर्णय दिनांक/माननीय न्यायालय का नाम	

हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारीकर्ता
पदनाम मय सील व दिनांक

- (iii) प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज/प्रधानाचार्य राजकीय डेंटल कॉलेज/निदेशक (जन स्वास्थ्य)/निदेशक (आरसीएच)/निदेशक(आई.ई.सी.)/निदेशक (एड्स)/अधीक्षक संलग्न चिकि. परियोजना निदेशक, एनआरएचएम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, निदेशक एमएसयू, निदेशक आरआरसी, मु.सा. विश्लेषक को उनके अधीन कार्य करने के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी माना जावेगा। यदि विभाग द्वारा किसी अन्य अधिकारी को भी सक्षम अधिकारी घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। केवल सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- (iv) माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा याचिका संख्या 3622/2013 में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2013 की पालना में विभाग के NGO/Placement Agency के माध्यम से राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग के अधीन संस्थान में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को समान कार्य एवं समान पद के आधार पर निर्धारित प्रपत्र में विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देय होंगे।
- (v) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने के सत्यापन के पश्चात् ही बोनस अंक/आयु में शिथिलता नियमानुसार दी जावेगी एवं विभाग द्वारा चाहे जाने पर मूल अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- (vi) अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन के साथ अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर अनुभव के आधार पर बोनस अंक देय नहीं होंगे एवं बाद में कोई अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

नोट :-अनुभव अवधि की गणना विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक तक की जावेगी।

14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में :- सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त हैं, उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए।

15. नियुक्ति की अयोग्यताएँ :-

- (1) किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- (2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- (3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।
- (4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती,

परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्वतः प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्पूर्वी प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतः प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व राजस्थान विभिन्न सेवा नियम के अधीन नियुक्ति के लिये निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

- (5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या कांटे-छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने पर वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जायेगा। यदि किसी आवेदक को बोर्ड द्वारा आगामी परीक्षा में बैठने से पूर्व में ही बहिष्कृत (Debarred) किया गया है और बहिष्कार की अवधि पूरी नहीं हुई है, ऐसे आवेदक नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
- (6) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

16. आवेदन कैसे करे:-

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट- राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की कीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन कीमीलेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

कृपया ध्यान दे:-

1. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन एवं अभ्यर्थियों के लिये आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश के साथ-साथ, संबंधित सेवा नियमों का भी गहनता से अध्ययन कर लें।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन में वर्णित पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण रूप से भर दी गई हैं। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये भर्ती प्रक्रिया में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। आवेदक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि तक पात्रता की समस्त शर्तें पूर्ण करता हों। शैक्षणिक योग्यता, आयु, जातिवर्ग तथा अन्य

पात्रता की समस्त शर्तें ऑनलाईन आवेदन की तिथि तक पूर्ण करना आवश्यक है। यदि आवेदक इस संबंध में ऑनलाईन आवेदन में गलत सूचना अंकित करता है, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2016 के नियम 6 में वर्णित सूची की कम संख्या 5 व 6 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की चयन प्रक्रिया को निरस्त किया जाना भी सम्मिलित है।

3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी On line Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को जो सही वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं उन्हें विज्ञापित पदों हेतु वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।
4. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं (आयु, योग्यता, श्रेणी, अनुभव आदि) के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जायेगा और परिणाम घोषित होने के बाद इसमें सुधार हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर परिणाम निरस्त कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के पश्चात् किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
5. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। अस्थायी रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों (जो ऑनलाईन आवेदन के समय अपलोड किये गये हैं) की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ संबंधित विभाग में प्रस्तुत करना होगा। संबंधित विभाग या बोर्ड द्वारा उम्मीदवार के मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि शैक्षणिक योग्यता, आयु, जातिवर्ग यथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग, विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी, या अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस भर्ती हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर बोर्ड द्वारा रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
6. अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।
7. **फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश**
फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-
 - a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
 - b. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छः माह पुराना) अपलोड करनी चाहिए। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें।
 - c. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
 - d. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
 - e. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
 - f. यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्मे पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
 - g. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
 - h. फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5 cm × 4.5 cm होनी चाहिए।
 - i. फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240 × 320 एवं अधिकतम 480 × 640 (0.3 मेगापिक्सेल) होना चाहिए।
 - j. फाइल का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।
 - k. स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।**हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-**
 - a. आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौड़ाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
 - b. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
 - c. आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात् अपलोड करें।
 - d. केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
 - e. जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 × 160 होना चाहिए।
 - f. फाइल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।

g. हस्ताक्षर का आकार 50 के.पी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए

h. मोबाईल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

17. **ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया** :—यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/- रुपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद नाम के अलावा अन्य प्रविष्टियाँ में संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी। इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
18. **प्रमाण-पत्रों का सत्यापन** :— आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/ विशेष योग्यजन/उत्कृष्ट खिलाड़ी) का लाभ तब ही देय होगा जबकि चयन प्रक्रिया में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-
1. जाति प्रमाण -पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है। केवल पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। पति अथवा पति एवं पिता के संयुक्त नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
 2. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियाँ सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक है।
 3. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसा आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक सुनिश्चित कर लें कि उनको जारी प्रमाण पत्र नॉन क्रीमीलेयर का ही है एवं तभी अपलोड करें। क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र होने पर नॉन क्रीमीलेयर में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
 4. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form पर सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
 5. अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जारी जाति प्रमाण पत्र में अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जाति का उल्लेख होने पर लाभ देय है। अति पिछड़ा वर्ग के लिये अलग से कोई जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है।
 6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र On line Application Form प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अंतिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
 7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
 8. शैक्षणिक/व्यवसायिक योग्यता, वॉनस अंक के लिये अनुभव प्रमाण पत्र, राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन, आयु, विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं अन्य आवश्यक समस्त मूल दस्तावेज। जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हो तभी मान्य होंगे।
19. **बोर्ड की वेबसाइट** :— आवेदक बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।


(डॉ. बी. एल. जाटावत)
अध्यक्ष